# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 22/2020

**उनवान**

(1) नाथुलाल पुत्र जुईता जाति पटेल निवासी बोरी, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा।
(2) डूंगरजी पिता जुईता जाति पटेल निवासी बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बॉसवाडा।
(3) गजेंग पिता पिता जुईता जाति पटेल निवासी बोरी, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(4) श्रीमती रसी पत्नी जुईता जाति पटेल निवासी बोरी, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा।

—: प्रार्थीगण

**बनाम**

(1) वेलजी पुत्र नाथु जाति पटेल निवासी बोरी, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

## निर्णय

दिनांकः 06.01.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता व पति स्वर्गीय श्री जुईता के खाते पुराना आराजी सर्वे नम्बर 4539 रकबा 2 बिस्वा भूमि राजस्व गाँव बोरी, पटवार हल्का बोरी, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा में दर्ज रिकार्ड था एवं पुराना सर्वे नम्बर 4539 जो कि प्रार्थीया के पिता व पति ने किमतन बजरिये पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 01.05.1990 को उक्त सर्वे नम्बर के पुराने स्वामी गेबीलाल पुत्र रेवाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बोरी से खरीदा एवं खरीदी दिनांक 01.05.1990 से प्रार्थीगण के पिता व पति शान्तिपूर्वक काश्त व उपयोग व उपभोग करते है एवं स्व. जुईता की मृत्यू के बाद प्रार्थीगण उसके वारिस उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काश्त व शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहें है। सेटलमेंट के दौरान उक्त पुराने सर्वे नम्बर के नये सर्वे नम्बर 3505 रकबा 0.01 एयर, सर्वे नम्बर 3506 रकबा 0.01 एयर बनाये गये परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों की त्रुटी के कारण जहाँ प्रार्थीगण का पुराना सर्वे नम्बर 4539 रकबा 0.02 एयर स्थापित था वहाँ स्थापित नहीं करके उसे पूर्व दिशा की ओर खिसका दिया गया है जबकि वास्तव में प्रार्थीगण का पुराना सर्वे नम्बर वहा अप्रार्थी का नया सर्वे नम्बर 3504 रकबा 0.03 एयर स्थापित किया वहाँ प्रार्थी के पुराने सर्वे नम्बर कि भूमि 4539 रकबा 0.02 एयर आती है जो सेटलमेंट अधिकारियों की त्रुटी से नये नक्षा ट्रेस में गलत पेमुदगी कर दी है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आज से एक माह पूर्व विवाद होने से यह तथ्य सामने आया है। प्रार्थीगण को इस तथ्य की जानकारी अभी 1 माह पूर्व मौका सीमा सम्बन्धी विवाद होने से पटवारी को मौके पर बुला कर जांच कराई तो हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को बताया कि पुराने नक्षे के अनुसार पुराना सर्वे नम्बर की भूमि 3504 रकबा 0.03 एयर में से [illegible] भूमि तुम्हारें पुराने सर्वे नम्बर की भूमि में आती है परन्तु सेवन से तुम्हारें पुराने सर्वे [illegible] की भूमि से नये सर्वे नम्बर 3505, 3506 बनाये है वह गलत बनाए हैं नये [illegible] नम्बर की भूमि 3504 में मिला दी है ओर वर्तमान में नये सर्वे नम्बर 3505 [illegible] हो। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले लेने व पुराने व नये नक्षा ट्रेस का मिलान करने पर हल्का पटवारी से उक्त तथ्य कि जानकारी होने से तहसीलदार के वहाँ नक्षे शुद्धीकरण व राजस्व रेकार्ड में शुद्धि करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार ने कहा कि राजस्व रेकार्ड के शुद्धिकरण का क्षेत्राधिकार S.D.O. साहब का है। इस हेतु प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.12 14:53:51 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री निशान्त उपाध्याय अभिभाषक का वकालातनाम पेश होकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक का जवाब पेश नही होने पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी को जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाने पर भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट पेश होकर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के दोनो पक्षकार का आपस में राजीनामा होकर वर्तमान में किसी प्रकार का विवाद नही है।

अतः प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.12 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner